व्याख्यात्मक टिप्पणियां

I. बैंकों से संबधित

1 वे सभी बैंक जिनको भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, उन्हें अनुसूचित बैंक के रुप में जाना जाता है। इन बैंको में अनुसूचित वाणिज़्य बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक शामिल है।

2 भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के उनके स्वामित्व और/अथवा परिचालन के अनुसार पांच समूह हैं। ये बैंक समूह (i) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी (ii) राष्टीयकृत बैंक (iii) निजी क्षेत्र के बैंक (iv) विदेशी बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। आइडीबीआइ बैंक को राष्टीयकृत बैंकों में शामिल किया गया है।

3 अनुसूचित सहकारी बैंको में अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक समाविष्ट हैं।

4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित सहकारी बैंको को बैंक समूह स्तर पर उनके बैंक वार सारणियों और उनके समरी सारणियों में से हटा दिया है। जब कि समूहों के रूप में जिस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक सारणी 2.1 और 2.2 में दर्शाये हैं।

5 वित्तीय वर्ष 2012- 2013 में,वाणिज्य बैकिंग प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन हुए;

i) जून 03, 2012 से ओमान इंटरनेशनल बैंक का नाम एचएसबीसी बैंक ओमन एस.ए.ओ.जी. बदल दिया गया है

ii) जनवरी 12, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934की दूसरी अनुसूची में विदेशी बैंक (वेस्टपैक बैंकिंग कॉरपोरेशन) शामिल थी।

iii) फ़रवरी 02, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934की दूसरी अनुसूची में विदेशी बैंक (सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन) शामिल थी ।

ये परिवर्तन सारणियों में प्रदर्शित है जिसमें वैयक्तिक बैंकों के आंकडे प्रस्तुत किये

6 इस खंड में प्रदर्शित बैंक केंद्रों जन समूह 2001 की जनसंख्या के आधार पर है। जनसंख्या समूह की निम्नानुसार व्याख्या की है;

जनसंख्य	जनसंख्या समूह
0 - 10,000	ग्रामीण
10,000 - 1,00,000	अर्ध -शहरी
1,00,000 - 10,00,000	शहरी
10,00,000 और अधिक	महानगरीय

II. संबंधित -सारणी

सारणियां 2.1 और 2.2 – भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 42(2) के अधीन अनुसूचित वाणिज़्य बैंको द्वारा भारत में उनके कारोबार से संबंधित प्रस्तुत किये गये पाक्षिक फार्म ए विवरणिओं से डाटा का समेकन करते है। अंतर बैंक जमाराशियां/15 दिनों के परिपक्वतावाली आस्तियां और उससे अधिक और 1 वर्ष तक को शामिल नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक के पास शेष राशियों का डाटा को सरकारी बैंक लेखा विभाग,भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकलाप के साप्ताहिक विवरणियों से प्राप्त करते है।

सारणियां 2.3, 2.4, 2.5, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 – सारणी 2.3, 2.4, 2.5 और, 4.1 मे दिये जानेवाले जमाराशियों के आंकडों में आंतर बैंकीय जमाराशियां शामिल नहीं हैं।अत: सारणी 3.1 रिपोर्ट की गयी जमाराशियों का कवरेज अलग है। सारणियां 2.3, 2.4, 2.5, 4.1, 5.1, 5.2 और 5.3 में सावधि ऋण, नगदी जमा, ओवरड्रफ्ट और खरीदे गये और भुनाये गये बिल इसके अलावा, सारणियां 5.1, 5.2, 5.3 में बैंक जमा से संबधित आंकडों में बैंकों से देय राशियां भी शामिल है।

सारणियां 2.6 और बी 12 – अनुसूचित वाणिज्य बैंको के चयनित वित्तीय अनुपात (आर आर बी को छोडकर) 31 मार्च 2011 और 2012 को समाप्त से संबंधित बैंकों के प्रकाशित वार्षिक खातों से प्राप्त / परिकलन किये गये है। अनुपात 21 और 30 से 35 अर्थात ''आस्तियों से संबधित विवरणी'' प्रति कर्मचारी(जमाराशि और अग्रिम) कारोबार ''प्रति कर्मचारी लाभ'' ''पूंजी पर्याप्तता अनुपात = टीयर I'' ''पूंजी पर्याप्तता अनुपात = टीयर II'' ''निवल अग्रिमों के निवल अनर्जक संपत्तियों का

अनुपात'' को वैयक्तिक बैंकों के प्रकाशित वार्षिक खाते से ''नोट्स ओन अकाउंट'' से प्राप्त करते हैं। वे बैंक समूह स्तर पर संकलित नहीं हैं।

निम्नलिखित संकल्पनाओं को प्रयोग में लाते हुए अन्य अनुपातों की गणना की गयी;

1. निम्नानुसार अनुपात में इस्तेमाल किया अवधारणाओं की परिभाषाएँ हैं।
   i) कॅश इन कॅश जमा राशियों के अनुपात में हाथों में नगद और रिज़र्व बैंक के पास शेष जमा राशियां
   ii) निवेश जमा अनुपात में निवेश कुल निवेश दर्शाता है।
   iii) निवल ब्याज मार्जिन की व्याख्या प्राप्त किये गये कुल ब्याज को भुगतान किये गये कुल ब्याज से घटाना है।
   iv) मध्यस्थता लागत की व्याख्या कुल परिचालनात्मक व्यय है।
   v) वेतन बिल की व्याख्या कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान
   vi) परिचालनात्मक लाभ की व्याख्या कुल आय से कुल व्यय घटाना, प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं छोडकर।
   vii) भार की व्याख्या है कुल गैर ब्याज आय से कुल गैर ब्याज व्यय घटाना।
2. मदे जैसे कि पूंजी, रिजर्व पूंजीयां, जमाराशियां, उधार अग्रिम, निवेश और आस्तियां/देयताओं का दो संबंधित वर्षों के लिये विविध वित्तीय आय/व्यय का अनुपात का औसत निकालने के लिये उपयोग होता है। व्यय अनुपात (सीनियर नं .11 से 29) की गणना दो प्रासंगिक वर्षों के लिए औसत हैं.
3. अनुपातों की व्याख्या निम्नानुसार है;
   i) नगद –जमा राशि अनुपात = (हाथों में नगद + भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि)/जमा राशियां
   ii) कुल अग्रिमों में से जमानती अग्रिमों का अनुपात = (मूर्त आस्तियों द्वारा जमानती अग्रिम + बैंक द्वारा कवर किये गये अग्रिम अथवा सरकारी गारंटियां)/ अग्रिम
   iii) कुल आस्तियों के व्याज आय का अनुपात = अर्जित ब्याज/ कुल आस्तियां
   iv) कुल आस्तियों के निवल ब्याज मार्जिन का अनुपात = (अर्जित ब्याज/प्रदत्त ब्याज)/कुल आस्तियां
   v) कुल आस्तियों के गैर ब्याज आय का अनुपात = अन्य आय /कुल आस्तियां
   vi) कुल आस्तियों के मध्यस्थता का अनुपात = परिचालित व्यय / कुल आस्तियां
   vii) मध्यस्थता लागतों के वेतन बिल का अनुपात(परिचालित व्यय) = पी पी ई / परिचालित व्यय
   viii) कुल व्ययों के वेतन बिल का अनुपात = पी पी ई /कुल व्यय
   ix) कुल आय के वेतन बिल का अनुपात = पी पी ई /कुल आय
   x) कुल आस्तियों के भार का अनुपात = (परिचालित व्यय– अन्य आय)/ कुल आस्तियां
   xi) ब्याज आय के भार का अनुपात = (परिचालित व्यय– अन्य आय)/ ब्याज आय
   xii) कुल आस्तियों के परिचालित लाभ का अनुपात = परिचालित लाभ /कुल आस्तियां
   xiii) प्रातिनिधिक बैंक समूह में सभी बैंकों, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में बैंक की कुल आस्तियों का समानुपात भार होने कारण, समूह में वैयक्तिक बैंकों के (सारणी बी 12से) आस्तियों की विवरणी को भारित औसत (सारणी 2.6 के लिये) के रूप में प्राप्त किया है,
   xiv) ईक्विटी की विवरणी = निवल लाभ/(पूंजी+रिजर्व और अधिशेष)
   xv) जमाराशियों की लागत = आइपीडी/ जमाराशियां
   xvi) उधार की लागत = आईपीबी / उधार
   xvii) निधियों की लागत = (आईपीडी/आइपीबी) / (जमाराशियां+उधार)
   xviii) अग्रिमों के लिये विवरणी = आईए/अग्रिम
   xix) निवेशों के लिये विवरणी = आईईआई/निवेश
   xx) निधियों की लागत में समायोजित अग्रिमों के लिये विवरणी = अग्रिमों के लिये विवरणी–निधियों की लागत
   xxi) निधियों की लागत में समायोजित निधियों के लिये विवरणी = निवेशों के लिये विवरणी – निधियों की लागत

जहां उचित हो,रेशो में डिनोमिनेटर्स औसत का उपयोग चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष उदाहरण के तौरपर 2012- 13 के लिये कुल आस्तियों के निवल ब्याज मार्जिन का रेशो का उपयोग डिनोमिनेटर के रूप में वर्ष 2011- 2012 और 2012- 13 के लिये कुल आस्तियों का औसत होगा।

उक्त व्याक्याओं में प्रयोग में आनेवाले संक्षिप्ताक्षर नीचे दिये गये हैं।

पीपीई = कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान

आईपीडी = जमाराशियों पर अदा किया गया ब्याज

आईपीबी = भारिबै और अन्य एजेंसियों से उधार पर अदा किया गया ब्याज

आईए = अग्रिमों और बिलों पर अर्जित ब्याज

आईआय = निवेशों पर अर्जित ब्याज

सारणी 4.2 – वर्ष 2010 के लिए, जमा 21,881 शाखाओं के स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना उपयोग कर अनुमान लगाया गया है. 2012 से, सर्वेक्षण जनगणना के आधार पर आयोजित किया जा रहा है, और परिणाम 94,062 शाखाओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कर रहे हैं. 2011 के लिए डेटा प्रकाशित नहीं हैं।

सारणियां 6.1 से 6.5 – अलग प्राथमिकता क्षेत्र के कुछ उप प्रमुखों के लिए अलग डेटा देने से, प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ऑफ बैलेंस शीट निवेश जोखिम (ओबीई) से समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या क्रेडिट बराबर का प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो भी अधिक है।

सारणियां 9.1 और बी 2– इन सारणियों का डाटा, बैंकों द्वारा उनके वार्षिक लेखा में प्रकाशित लाभ और हानि के विविध अनुसूचियों से प्राप्त किया है। इन सारणियों में बताया गया कुल व्यय प्रावधान और आकस्मिकताएं को छोडकर है। मद लाभ की गणना, बैंक की कुल अर्जकता से ब्याज व्यय, परिचालन व्यय, और प्रावधानों और आकस्मिकताओं घटाकर की गयी।

सारणी 10.1 यह सारणी मूल सांख्यिकीय विवरणी ।। के माध्यम से संग्रहीत डाटा के आधारपर और बैंकों के सिर्फ पूर्ण दिवसीय कर्मचारियों को शामिल कर के है।

सारणी 11.4 – अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सभी शाखाओं से प्राप्त बीएसआर (i) और बीएसआर (ii) पर आधारित डाटा इस सारणी में है।

सारणियां बी 1 से बी 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर वैयक्तिक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर वर्तमान डाटा

सारणी बी 16 – डाटा से संबंधित भारत के जमा खाते जो अधिकतर 31 दिसंबर 2012 तक अथवा 10 वर्षो तक उपयोग में नहीं लाये गये और बैंकिंग नियम अधिनियम,1949 की धारा 26 के अंतर्गत फॉर्म 9 में बैंकों द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणियों पर आधारित है।

III. सामान्य

1. सारणियों का कुल आंकडे कुछ आवश्यक मदों क्र आंकडों के पूर्णांकित करने के कारण पूरी तरह से मेल नहीं खाते।
2. कोष्टकों में दिये गये गये आंकडें, अन्यथा स्पष्ट किये गये, कुल का प्रतिशत दर्शायें ।
3. यूनिट मिलियन 1,000,000 के बराबर और यूनिट बिलियन 1,000,000,000. के बराबर है।
4. चिन्ह ''-'' कुछ नहीं और नगण्य दर्शाता और ''..'' उपलब्ध नहीं अथवा लागू नहीं दर्शाता है।
5. प्रत्येक सारणी के अंत में उससे संबंधित उचित स्त्रोत और टिप्पणियां दी गई हैं ।
6. वित्तीय वर्ष '2012' और '2013' को 'अप्रैल 2011 से मार्च 2012' और 'अप्रैल 2012 से मार्च 2013' को देखें.
7. पूर्व वर्ष के कुछ आंकड संशोधित किये गये।
8. यह प्रकाशन इंटरनेट पर डी.बी.आय.ई के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट http: //dbie.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।